न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 194/2004 (2004/00017) दर्ज दिनांक 09.11.2004
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमति लादी पुत्री हंसराज जाट निवासी कुण्डिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद हाल मु0 भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मु0 रतनी पुत्री शिव लाल जाट ना0ब0माता श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु0 मंशा पुत्री शिव लाल जाट ना0बा0माता श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमति ऐजी पुत्री श्रीराम जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमति हगामी पुत्री श्रीराम जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः–श्री मुकेश कुमार चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (प्रति0 सं0 04)
पेरोकार सरकार

<u>वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.ए.</u>

दिनांक 05.02.2021

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रका[illegible] वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. की प्रस्तुत कर [illegible] किया है कि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का डे[illegible] के बेरून हल्का[illegible]दी में साविक आराजी संख्या 123/1क रकबा 6 बी[illegible] आराजी संख्या 59/[illegible] रकबा 4 बीघा 12 बिश्वा, आराजी संख्या 95/1 रकबा 3 बीघा 10 बिश्वा, आराजी संख्या 106/2 रकवा 5 बीघा 5 बिश्वा स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या– 194/2004 (2004/00017)
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.ए.

यह कि उक्त वर्णित आराजी संख्या 123/1क रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 59/1 रकबा 4 बीघा 12 बिश्वा, आराजी संख्या 95/1 रकबा 3 बीघा 10 बिश्वा, आराजी संखय 106/2 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 7 बिश्वा में से हिस्सा 1/2 रकबा 6 बीघा 11 बिश्वा । इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि रकबा 12 बीघा 11 बिश्वा बिल एवज 50000/– वादिया ने पूर्ण खातेदार श्रीमति दाखी पत्नि श्रीराम जाट निवासी रघुनाथपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1995 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त आराजीयात पर वादीया बहैसियत मालिक के काबिज हो काश्त करती आ रही है। प्रमाण में नकल विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1995 साथ पेश है।

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 123/1क रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण पूर्व मालिक श्रीमति दाखी पत्नि श्रीराम जाट के तन्हा स्वामित्व एवं खातेदारी की थी एवं आराजी संख्या 59/1 रकबा 4 बीघा 12 बिश्वा, आराजी संख्या 95/1 रकबा 3 बीघा 10 बिश्वा, आराजी संखय 106/2 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 7 बिश्वा में से हिस्सा 1/2 हिस्सा श्रीमति दाखी का ही था । इन तीनों आराजीयाम में से 1/2 हिस्सा दाखी पूर्व मालिक का था को एवं आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण मुझ वादीया ने सद्भावीपूर्ण क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं पूरा प्रतिफल श्रीमति दाखी को अदा कर दिया था। जिससे आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 59/1, आराजी सं0 95/1 एवं आराजी सं0 106/2 के 1/2 हिस्से की मै वादीया सदभावी क्रेती के आधार पर खातेदार कृषक हूँ और आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 59/1 , 95/1 एवं 106/2 के 1/2 हिस्से को मुझ वादीया के नाम जरिये इन्तकाल सं0 28 दिनांक 30.07.2004 का मुझ वादीया के साथ प्रतिवादीयागण सं0 एक लगायत 5 का नाम भी अंकित कर दिया जबकि तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर खरीद शुदा आराजीयात की मै वादीया तन्हा स्वामीनी होकर अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने की हकदार हूँ। राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी आधार के मुझ वादीया की बिना जानकारी के प्रतिवादीयागण सं0 1 लगायत 5 का नाम गलत तरीके से अंकित कर दिया जिसे निषेधाज्ञा के जरिये हटाया जाना आवष्यक है एवं मेरे द्वारा खरीद शुदा उक्त वर्णित आराजियात को तन्हा मेंरे नाम खातेदारी हक से दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

यह कि गांव रघुनाथपुरा का बन्दोबस्त हुआ, बन्दोबस्त के दौरान साबिक आराजी संख्या 123/1क के नये नम्बर 206 रकबा [illegible] हे0 आराजी संख्या 59/1 के नये नम्बर आराजी संख्या 80 रकबा [illegible] हे0, आराजी संख्या 81 रकबा 0.04 हे0, आराजी संख्या 82 रकबा 0.02 हे0 83 रकबा 0.42 हे0 आराजी संख्या 95/1 के नये नम्बर आराजी संख्या 132 रकबा [illegible] हे0 एव साबिक आराजी सं0 106/2 के नये नम्बर आराजी संख्या 204 रकबा 1.13 हे0 कायम किये गये। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 एवं मिलान क्षेत्रफल साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी सं0 6 से मिली भगत कर बिना किसी औचित्य के और बिना किसी आधार के अवैध तरीके से मुझ वादीया द्वारा खरीद शुदा आराजीयात साबिक 123/1क सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 के **नवीन** नम्बर कमशः 80 रकबा 0.51 हे0, 81 रकबा 0.04 हे0 आराजी संख्या 82 रकबा 0.02 हे0, 83 रकबा 0.42 हे0 का 1/2 हिस्सा वादिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं कर प्रतिवादी संख्या एक से पांच एवं मुझ वादिया के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज कर दिया और इस गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक से पांच मुझ वादिया के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की आराजियात जिसका वर्णन चरण एक में किया गया है को नाजायज राशि प्राप्त कर मुझ वादिया को लाठि के बल पर एवं ताकत के बल पर बेदखल कर अपना हक कायम कर सकती है तथा अन्य को हस्तान्तरण कर सकती है और प्रतिवादी संख्या एक से पांच ताकत के बल पर कब्जा जमा कर अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा डिकी इस आशय की जारी कराया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं कि वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में से साबिक आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं साबिक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 का 1/2 हिस्सा वादिया ने पूर्व खातेदार श्रीमती दाखी पत्नि श्रीराम जाट से कय कर कब्जा प्राप्त किया है मैं अनाधिकृत प्रवेश न स्वयं करें न अन्य को करावे व अन्य किसी के हक में हस्तानान्तरण कर राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी करावें। न वादिया को अपने जायज हक की आराजीयात से बेदखल करें न अन्य से करावें।
यह कि वाद पत्र में वर्णित साबिक आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं साबिक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 का 1/2 हिस्सा जिसके नये नम्बर कमशः 206 सम्पूर्ण एंव आराजी संख्या 80, 81, 82 एवं 83 का 1/2 हिस्सा में वादिया खातेदारी हक से एवं संदभावी केती होने के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने की हकदार है।

यह कि वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 01.08.2004 को पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने मेरे द्वारा कय शुदा भूमियों को वादिया के पक्ष में नाम कराने से मना कर दिया तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं –

बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमरकी घोषणात्मक डिकी जारी करायजी जावे कि ग्राम रघुनाथपुरा की साबिक आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं साबिक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 जिनके नये नम्बर कमशः 206 सम्पूर्ण एंव आराजी संख्या 80, 81, 82 एवं 83 का 1/2 हिस्सा वादिया ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के पूर्व मालिक श्रीमती दाखी पत्नि श्रीराम जाट से 50,000/–रूपये में दिनांक 17.01.1996 को कय कर कब्जा प्राप्त किया है की वादिया तन्हा खातेदार कृषक है। तदनुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन किया जावे और प्रतिवादीसंख्या 1 से 5 का नाम हटाया जा कर वादिया के नाम दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा डिकी इस आशय की जारी करायी जावे कि ग्राम रघुनाथपुरा की साविक आराजी संख्या 123/1क सम्पूर्ण एवं साविक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 जिनके नये नम्बर कमशः 206 सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 80, 81, 82 एवं 83 का 1/2 हिस्सा वादिया ने पूर्व खातेदार श्रीमती दाखी पत्नि श्रीराम जाट से कय कर कब्जा प्राप्त किया है में अनाधिकृत प्रवेश न स्वयं करें न अन्य को करावे व अन्य किसी के हक में हस्तानान्तरण कर राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी करावें। न वादिया को अपने जायज हक की आराजीयात से बेदखल करें न अन्य से करावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 09.11.2004 को पंजियद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3, 5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थि। प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही करने पर जवाबदेही बंद की जाती है।

वादिया के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र को सिद्ध कराने बावत् वादिया स्वयं की ओर से शपथ पत्र पर बयान पीडब्ल्यू–1 प्रस्तुत कर शपथ बयान किया कि यह जमीन के बाबत् दावा किया करीब 12 बीघा जमीन का दावा किया जमीन भोलीखेड़ा, रघुनाथपुरा में स्थित है। यह जमीन मेरी खरीदशुदा जमीन है। यह जमीन मैंने दाखी से खरीदी है। यह जमीन मैंने 50,000/–रूपये में जरीये रजिस्टर्ड विकय पत्र के खरीदी थी। जमीन खरीदे करीब 12 वर्ष हो गये है। इस जमीन की रजिस्ट्री वक्त से ही मेरा कब्जा चला आ रहा है। अभी मेरा कब्जा हैं। रजिस्ट्री की मूल प्रति मैंने दावे में पेश की जो प्रदर्श–1 है।, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श – 2 है। जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श – 3 है। मिलान खाता की नकल प्रदर्श – 4 है। मेरी खरीदशुदा जमीन मेरे खाते में दर्ज की जावे। जिस पर जिरह वकिल प्रतिवादी द्वारा की गई–
मेरे ससुर श्रीराम की मृत्यु करीब 15 वर्ष पूर्व हुई। ससुर की मृत्यु हुई उस वक्त हगामी, ऐजी, शिवलाल और उनकी पत्नी मेरी सासु जिन्दा थी। मेरी ससुर की मृत्यु के वक्त मैं दाखी, हगामी, ऐजी, शिवलाल सभी साथ रहते थे। शामिल ही खेती करते थे। हम शामिल रहते तब अलग – अलग पैसा जमा नहीं करते शामिल खाते व खर्च करते थ। मेरी शादी के बाद बच्चे – बच्ची कुछ नहीं हुए। इसलिए मेरे ससुर ने शिवलाल की दूसरी शादी करवा दी उसका नाम गीता है। मेरे ससुर व पति के खिलाफ मेरे बाप ने मुकदमे करवाये। मेरे पति व मेरे ससुर के खिलाफ क्या फैसला हुआ मुझे पता नही। जमीन की रजिस्ट्री के 50,000/– रूपये में अपने पिता से लाई [illegible] ससुर सभी मेरे खिलाफ थे। जमीन दूसरे को बेच रहे थे। इसलिए मैंने [illegible] थी। मेरे रजिस्ट्री करवाई तब मेरे सास – ससुर जमीन न[illegible] मैंने रजिस्ट्री करवाई। मेरे दो नंनदे है। जिन्होंने मेरे [illegible] मे दावा कर रखा है। मेरी जमीन भी उस दावे में विचाराधीन हैं। पहले [illegible] वादग्रस्त जमीन का नामान्तरण मेरे नाम खुल गया था जो खारीज हो गया । अभी मुझे पता नहीं की ससुर की जमीन किस – किस के नाम पर हैं।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

मैंने रजिस्ट्री करवाई वो जमीन भी रतनी , हगामी, गीता, मंशा, ऐजी के नाम पर है। जो जमीन मैंने खरीदी उसका बंटवाड़ा नहीं हुआ। खरीदी आराजी का नंबर मुझे पता नहीं है। जमीन पर कब्जा अलग- अलग सब खेतो में है। कुल सात खेत हैं सभी खेतो में मेरा कब्जा है। 6 बीघा के पड़ौस में है उगानू में कशना जी जाट अतानू रामरतनजी जाट धराउ में शोभालाल जाट यह पड़ौसी है। इस खेत के चारो ओर मेरे परिवार की जमीन नहीं है। बाकी की जमीन मेरे ससुर के खाते में जमीन है उसमें सब जगह हैं। कुल मेरे ससुर के 6 खेत है। गोरमें के खेत में मेरा 1/2 हिस्सा है। 70 बीघा जमीन में मैं व गीता 1/2-1/2 हिस्सा बो रहे है। बाकी 6 बीघा सभी नम्बरों में है। जो बेची वो आधी-आधी जमीन हम दोनों के कब्जे में है। यह ही हैं कि मेरे सासूजी ने बिकाव पत्र में मेरी बंदियत लादी पुत्री हंसा जाट निवासी कुण्डिया लिखवा दी मेरे पति शिवलाल व निवासी रघुनाथपुरा नहीं लिखवाया। अजमेर अपील में जो मुकदमा चल रहा है। उसमें यह जमीन नहीं हैं। इसके अलावा इस जमीन का मुकदमा कहीं नहीं चला आ रहा है। मेरे ससुर जी के उस समय केवल दाखी बाई ही हकदार थी हम कोई हकदार नहीं थे। मेरे ससुर की मृत्यु के समय से ही मैं रघुनाथपुरा आई। यह कहना गलत हैं कि मेरे पति व मेरे ससुराल वालो से नहीं पटने से मै मेरे पिता के यंहा से रूपये लेकर जमीन खरीदी। अभी मै भोलीखेड़ा ही रहती हूँ। इसी प्रकार कमशः शपथ बयान गवाह पीडब्ल्यू-2 व पीडब्ल्यू - 3, पीडब्ल्यू-4 छोगालाल पिता घीसा जाट निवासी रघुनाथपुरा, मादूलाल पिता मोजीराम जाट निवासी डेलाना, जवाहरमल पिता भूरा जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) के लेखबद्ध किये जाकर उन पर जिरह वकील प्रतिवादी की गई।

प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादिया के अधिवक्ता ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलाकन कर वादपत्र स्वीकार किये जोने हेतु निवेदन किया। इसी प्रकार प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादपत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बाद बहस मैंने गवाहो एवं प्रस्तुत दस्तावेजो रजिस्ट्री की मूल प्रति प्रदर्श-1, जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 प्रदर्श - 2 , जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श - 3, मिलान खाता की नकल प्रदर्श - 4 एवं नामान्तरण के आदेश की प्रतियों के अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया जिससे स्पष्ट होता हैं कि श्रीराम फौत होने से नामान्तरण संख्या 16 दिनांक 07.02.93 तस्दीक हुई जिसपर प्रदर्श-2 अंकित किया जिसमें शिवलाल पिता श्रीराम दाखी पत्नी श्रीराम के नाम दर्ज हुई। श्रीराम की पुत्रियों द्वारा न्यायालय में अपील करने से माननीय न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(खण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अपील संख्या 20/2001 निर्णय दिनांक 20.03.2002 से न्यायालय द्वारा नामान्तरण संख्या 16 अपास्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार सहाड़ा को रिमाण्ड किया गया तहसीलदार सहाड़ा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण संख्या 11 दर्ज कर दिनांक 20.07.2004 को निर्णय पारित किया कि श्रीराम फौत व बेवा दाखी भी वर्ष 1998 में फौत होने से लादी व गीता बेवा शिवलाल जाट 1/3, ऐजी पुत्री श्रीराम 1/3 जाट हगामी पुत्री श्रीराम जाट 1/3 हिस्सा दर्ज किया परन्तु दाखी बेवा श्रीराम जाट द्वारा अपने जीवीत काल मे ही जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 17.01.1996 से साबिक आराजी नं० 123/1क रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण एवं आराजी संख्या 59/1 रकबा 4 बीघा 12 बिश्वा, आराजी संख्या 95/1 रकबा 3 बीघा 10 बिश्वा, आराजी संख्या 106/2 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा कुल किता 3 रकबा 13 बीघा 7 बिश्वा में से हिस्सा 1/2 हिस्सा लादी पुत्री हंसराज जाट निवासी कुण्डिया तहसील रेलमंगरा को विक्रय कर दिया। परन्तु उक्त विवेचन अनुसार दाखी के जीवित काल में ही उक्त आराजियात विक्रय किये जाने से लादी के नाम साबिक आराजी नं० 123/1क रकबा 6 बीघा सम्पूर्ण एवं शेष आराजियात में दाखी का विधिवत रूप से बनने वाला 1/4 हिस्सा ही लादी पुत्री हंसराज के नाम दर्ज किया जाना उचित है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों अनुसार वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर०टी० एक्ट का यह न्यायालय वादीया के पक्ष में आंशीक स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर०टी०ए० का आंशीक स्वीकार किया जाता हैं। वादिया को ग्राम रघुनाथपुरा की साबिक आराजी संख्या 123/1क जिसका नया नम्बर 206 सम्पूर्ण एवं साबिक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 जिनके नये नम्बर कमशः आराजी संख्या 80, 81, 82 एवं 83 का 1/4 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व जमाबंदी में उक्तानुवसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का हिस्सा कम किया जाकर वादिया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वर्णित आराजियात में विदिया के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। खातान्तर वादिया के पक्ष में खोला जावें। तदनुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर से पूर्ति हेतु नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.05.18 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 6.

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 194/2004 (2004/00017) दर्ज दिनांक 09.11.2004
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमति लादी पुत्री हंसराज जाट निवासी कुण्डिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद हाल मु0 भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मु0 रतनी पुत्री शिव लाल जाट ना0ब0माता श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु0 मंशा पुत्री शिव लाल जाट ना0बा0माता श्रीमति गीता बेवा शिव लाल जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमति ऐजी पुत्री श्रीराम जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमति हगामी पुत्री श्रीराम जाट निवासी भोलीखेड़ा (रघुनाथपुरा) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता वादीः–श्री मुकेश कुमार चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः–श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (प्रति0 सं0 04)
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 05.02.2021

वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार चौधरी , अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4 श्री पर्वतसिंह चुण्डावत एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(अधिवक्ता अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या:– 194/2004 (2004/00017)
वाद– अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.ए.

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 का आंशीक स्वीकार किया जाता हैं। वादिया को ग्राम रघुनाथपुरा की साबिक आराजी संख्या 123/1क जिसका नया नम्बर 206 सम्पूर्ण एवं साबिक आराजी संख्या 59/1, 95/1 एवं 106/2 जिनके नये नम्बर कमशः आराजी संख्या 80, 81, 82 एवं 83 का 1/4 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व जमाबंदी में उक्तानुवसार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का हिस्सा कम किया जाकर वादिया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वर्णित आराजियात में विादिया के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। नामान्तरण वादिया के पक्ष में खोला जावें। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 05.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 13:00:12 IST
Reason: SelfAttested